बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:– ल0सिं0मो0– ज॰जी॰हरि॰/प्राक्क– 139/2020 – 1461 (मो0) / पटना,दिनांक:– 21/7/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल,..........।

सभी अधीक्षण अभिंयता,
लघु सिंचाई अंचल,............।

सभी मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग.......।

विषय:– **जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत योजनाओं के प्राक्कलन के संबंध में।**

महाशय,

जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत योजनाओं को जिला परामर्शदातृ समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही क्रियान्वयन किया जाना है।

इसके लिए सभी कार्यपालक अभियंता को पूर्व में निदेश दिया गया है कि अपने जिले की योजनाओं का Long Term Action Plan बनावें तथा उसके अन्तर्गत योजनाओं की सूची जिला पदाधिकारी को जिला परामर्शदातृ समिति से अनुमोदन प्राप्त कराने हेतु उपलब्ध करा दें।

इस संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत सभी योजनाओं के डी0पी0आर0 की स्वीकृति जिला परामर्शदातृ समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाय। डी0पी0आर0 के प्रतिवेदन पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाय कि योजना जिला परामर्शदातृ समिति से स्वीकृत है। प्राक्कलन में समिति की बैठक की कार्यवाही भी संलग्न की जाय।

विश्वासभाजन
21/7/2020
अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\ASHUTOSH-2020\JULY\LETTER 21.07.2020 COPY1.DOC